तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम हुक्म की में जा
	RT/2016/52	
07/08/18	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण पत्रावली वास्ते पुनः तलबी अग्रिम तिथि 03/10/18 को पेश हो।	
03/10/18	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते पुनः तलबी अग्रिम तिथि 17/12/18 को पेश हो।	
17/12/18	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते पुनः तलबी अग्रिम तिथि 01/01/19 को पेश हो।	
01/01/19	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। बार-बार आवाजें लगायी गई। वादी वकील व वादी स्वयं कोई उपस्थित नहीं आया। तथा वादी अवसर देने के बाद भी वादिया वकील में रुचि नहीं दिखाई और ना ही सम्मन तामील पेश किया जो कार्यालय दिनांक 23/11/16 से निरंतर चल रहा है। सिविल वादों में आदेश 9 नियम 5 CPC का अनुपालन है और नोटिस तामील के अभाव में अग्रिम पत्र चलने योग्य नहीं है। आदेश 9 नियम 5 CPC के तहत प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली लंबित शुमार होकर दफ्तर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। पुराने मूल वाद पत्र नस्तापत्र हो चुका है। अग्रिम पत्र के अतिरिक्त चलाया जाने योग्य नहीं है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	